



2026:AHC-LKO:20721

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक अपील सं. - 3598/2025

जसवंत सिंह उर्फ मोनू सिंह

.....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव, सिविल सचिवालय,
लखनऊ के माध्यम से, और अन्य

... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : मनमोहन सिंह, अशोक कुमार मिश्रा,

अश्रुत सिंह, दिलीप कुमार वर्मा

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, धर्मेन्द्र कुमार यादव, शशांक

कुमार शुक्ला, श्रद्धा चतुर्वेदी, योगेश कुमार मिश्र

न्यायालय सं. - 12**माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर**

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(2) के अंतर्गत दाखिल की गई है, ताकि विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 24.09.2025 को पारित आदेश को अपास्त किया जा सके। यह आदेश वाद अपराध संख्या 115/2025 में पारित किया गया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 348, 323, 504, 506 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(5) के अंतर्गत आरोप लगाए गए हैं, यह वाद थाना चंदा, जिला सुल्तानपुर से संबंधित है। इसके अतिरिक्त उक्त वाद में अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु के अनुसार, शिकायतकर्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीन किसी पद पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में उपस्थित था, और परीक्षा स्थल पर, अपीलकर्ता के साथ-साथ हरिकेश यादव नामक एक व्यक्ति भी उपस्थित था, जिसने स्वयं को उच्च न्यायालय का समीक्षा अधिकारी बताया था। आरोप का मुख्य सार यह है कि उक्त व्यक्ति ने शिकायतकर्ता से 7,50,000/- रुपये (सात लाख पचास हजार रुपये) की राशि इस वादे के साथ जबरन वसूल ली कि वह उसे नियुक्ति पत्र दिलवा देगा; और यह राशि कथित तौर पर प्रतिभू राशि के रूप में ली गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए कथनों से यह संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता, हरिकेश यादव का सह-षड्यंत्रकारी था। यह आरोप भी लगाया गया है कि जब शिकायतकर्ता ने अपने पैसे वापस लौटाने की मांग की, तो उक्त

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हरिकेश यादव उर्फ गौरव ने उसे तीन भविष्य की तिथि वाले चेक दिए, जो बाद में अनादरित हो गए। इसके अलावा, शिकायतकर्ता के साथ शारीरिक मारपीट किए जाने का आरोप भी लगाया गया है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री को सरसरी तौर पर देखने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्त आरोप हरिकेश यादव उर्फ गौरव पर लगाए गए हैं। इन आरोपों में यह भी कहा गया है कि 7,50,000/- रुपये (सात लाख पचास हजार रुपये) की राशि उक्त व्यक्ति को दी गई थी, जिसने बदले में तीन भविष्य की तिथि वाले चेक जारी किए थे, जो बाद में अनादरित हो गए। यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध उन धाराओं के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया है जिनके अंतर्गत उस पर मामला दर्ज किया गया है, यहाँ तक कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम से संबंधित धाराएँ भी उसके विरुद्ध लागू नहीं होती हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि अपीलकर्ता दिनांक 05.09.2025 से ही जेल में निरुद्ध है और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. विरोधी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने इस अपील का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि अपीलकर्ता, उक्त हरिकेश यादव उर्फ गौरव के साथ उपस्थित था। उसने शिकायतकर्ता को सह-अभियुक्त हरिकेश यादव को भुगतान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अपना स्वयं का नियुक्ति पत्र भी प्रदर्शित किया था। यद्यपि, यह स्वीकार किया गया है कि

अपीलकर्ता को वास्तव में कभी कोई भुगतान नहीं किया गया था, और न ही उसके द्वारा कोई ऐसा चेक जारी किया गया था जो बाद में अनादरित हुआ हो। अपीलकर्ता दिनांक 05.09.2025 से ही जेल में निरुद्ध है और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलो पर विचार करने के पश्चात्, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विवादित आदेश अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर उचित विचार किए बिना ही पारित कर दिया गया था, अतः, विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त विवादित आदेश को अपास्त किया जाना उचित है।

7. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरा यह मत है कि विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को सही ढंग से समझने में विफल रही है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाना उचित है। तदनुसार, यह अपील स्वीकार की जाती है और दिनांक 24.09.2025 का आदेश अपास्त किया जाता है।

8. अपीलकर्ता/आवेदक **जसवंत सिंह उर्फ मोनू सिंह**, जो उपर्युक्त वाद अपराध में शामिल है, को व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, ये ज़मानतदार संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार होने चाहिए और यह रिहाई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, जो न्याय के हित में लगाई जा रही हैं:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (i) अपीलकर्ता/आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) अपीलकर्ता/आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- (iii) अपीलकर्ता/आवेदक सीधे या परोक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष बताने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iv) अपीलकर्ता/आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्यों के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और विधि के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।
- (v) अपीलकर्ता/आवेदक निर्धारित की गई प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या अपने अधिवक्ता के माध्यम से। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति होने पर, विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है।



(vi) यदि अपीलकर्ता/आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उदघोषणा जारी की जाती है, और अपीलकर्ता/आवेदक ऐसी उदघोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के अंतर्गत, विधि के अनुसार, उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

9. यदि कोई लंबित आवेदन है, तो उसका भी **निस्तारण** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

23 मार्च 2026

सुबोध/-